

**अनुदान संख्या 91 – कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय**  
**GRANT No. 91 – MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP**

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत -  
Saving -  
(हजार रुपयों में)  
(In thousands of rupees)

<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2711,53,00		
			2711,56,00	
पूरक	Supplementary	3,00		
				2033,18,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-678,37,79
				631,27,00

<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	73,70,00		
			108,71,00	
पूरक	Supplementary	35,01,00		
				91,96,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-16,74,09
				65,00

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—
1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services			
मू.	O.	20670.00		
			19442.27	
पु.	R.	-1227.73		
				18884.28
				-557.99

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Major Head "2230" Labour, Employment and Skill Development			
मू.	O.	156964.00		
पू.	S.	1.00	156708.37	154305.38
पु.	R.	-256.63		-2402.99
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	24870.00		
पू.	S.	1.00	1001.00	..
पु.	R.	- 23870.00		-1001.00
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	66689.00		
पु.	R.	-44751.99	21937.01	21762.64
				-174.37
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments With Legislature			
मू.	O.	1960.00		
पू.	S.	1.00	8940.35	8365.91
पु.	R.	6979.35		-574.44

(I) ₹24871.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" – "प्रशिक्षण – शिक्षुता प्रशिक्षण – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" के अंतर्गत एक मामले में – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹24871.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" – "Training-Apprenticeship Training – Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान" के अंतर्गत ₹1057.85 लाख की बचत हुई (₹14550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, किराए पर लिए गए भवन की संविदा के नवीकृत न होने तथा कोविड-19 महामारी की वजह से कम मेडिकल और अन्य स्थापना संबंधित खर्चों के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2230" – "प्रशिक्षण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुई:-

(का) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" – ₹2092.35 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹25904.00 के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" – ₹983.16 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹0.28 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹13301.08 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने और कोविड-19 महामारी के कारण अतिथि संकाय की नियुक्ति के विलंब के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुई:-

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" – ₹32973.30 लाख की बचत (₹49993.46 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" – ₹7949.48 लाख की बचत (₹10946.07 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat – National Skill Training Institutes" - saving of ₹1057.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14550.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-renewal of rented building contract, less medical and other establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under Major Head "2230" – "Training" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana" - saving of ₹2092.35 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹25904.00 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in March, 2022); and

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana" – saving of ₹983.16 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13301.08 lakhs including token supplementary grant of ₹0.28 lakh obtained in March, 2022).

Savings under the above two heads were due to non-submission of utilization certificates by implementing agencies and delay in appointment of guest faculty owing to COVID-19 pandemic.

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana"- saving of ₹32973.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49993.46 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes- Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana" - saving of ₹7949.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10946.07 lakhs); and

(गा) "जनजाति क्षेत्र उप-योजना - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" - ₹4003.58 लाख की बचत (₹5749.47 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुईं।

(V) ₹365.45 लाख की बचत एक शीर्ष के अंतर्गत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹6979.35 लाख) प्रयुक्त हो गईं; जैसा कि जुलाई, 2021 में मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" - ₹5206.33 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5123.71 लाख था।

(II) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" - ₹1205.06 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹858.80 लाख था।

(III) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" - 567.96 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹422.40 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹1674.09 लाख) जुलाई, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹3501.00 लाख के पूरक अनुदानों का 48 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधानों का 15 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana" - saving of ₹4003.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5749.47 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of utilisation certificates from the State Governments.

(V) Under one head saving of ₹365.45 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹6979.35 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in July, 2021 under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - under the following heads:-

(I) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana" - ₹5206.33 lakhs. Actual excess, however, was ₹5123.71 lakhs.

(II) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana" - ₹1205.06 lakhs. Actual excess, however, was ₹858.80 lakhs.

(III) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana" - ₹567.96 lakhs. Actual excess, however, was ₹422.40 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1674.09 lakhs) constituted 48 percent of the supplementary grants of ₹ 3501.00 lakhs obtained in July, 2021 and March, 2022 and 15 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4070"	Major Head "4070"			
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services			
मू.	O.	7353.00		
पू.	S.	2501.00	10803.00	9194.03
पु.	R.	949.00		-1608.97
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"			
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas			
पू.	S.	1000.00	..	..
पु.	R.	-1000.00		..

(I) ₹1002.60 लाख का प्रावधान (₹1000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अधीन पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से अकेले ₹1000.00 लाख मुख्य शीर्ष "4552" – "प्रशिक्षण – प्रशिक्षु प्रशिक्षण – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को करने के कारण लेखाबद्ध हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "4070" – "अन्य व्यय – सचिवालय – कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय" के अंतर्गत ₹4500.00 लाख का मूल प्रावधान ₹1800.00 लाख का पूरक प्रावधान प्राप्त करके ₹6300.00 लाख रुपए तक बढ़ाया गया। तथापि, कोविड महामारी की वजह से कार्यालय भवन के पूरा होने में विलंब के कारण ₹4400.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(I) Provision of ₹1002.60 lakhs (including supplementary grant of ₹1000.00 lakhs) remained wholly unutilized under three heads; of these ₹1000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552"- "Training – Apprenticeship Training – Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4070" – "Other Expenditure – Secretariat – Ministry of Skill Development and Entrepreneurship" - the original provision of ₹4500.00 lakhs was augmented to ₹6300.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1800.00 lakhs. However, there was a saving of ₹4400.00 lakhs (including supplementary grant) – due to delay in completion of office building owing to COVID-19 pandemic.

4. उपरोक्त बचतों का आंशिक रूप से (₹5349.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधानों में वृद्धि करके उपयोग किया गया जैसा कि मुख्य शीर्ष "4070" – "अन्य व्यय – राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान" के अंतर्गत ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3740.03 लाख था।

4. The above savings were partly (₹5349.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "4070" - "Other Expenditure–National Skill Training Institute". Actual excess, however, was ₹3740.03 lakhs.

---